न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—288/2018/225 (2018/00288)

1. गणेश पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार, निवासी नलू, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसा दत्तक पुत्र जेठू (जायन्दा पुत्र हनुमान)
2. भंवरी पुत्री जेठू,
3. छोटी बेवा जेठू,
4. कालू पुत्र हनुमान,
5. कल्याण पुत्र हनुमान,
6. सुगनी बेवा हनुमान,
7. बद्री पुत्र रामदेव,
8. पांचू पुत्र रामदेव,
9. मिट्ठू पुत्र रामदेव (मृतक)
   9/1— सुनिता पत्नि स्व0 मिट्ठू,
   9/2— अव्यस्क माधू पुत्र स्व0 मिट्ठू,
   9/3— अव्यस्क किरण पुत्र स्व0 मिट्ठू,
   9/4— अव्यस्क लाली पुत्री स्व00 मिट्ठू,
   प्रत्यर्थी संख्या 9/2 से 9/4 जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता सुनिता पत्नि स्व0 मिट्ठू सर्व जाति कुम्हार, सर्व निवासी ग्राम नलू, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
10. रतन पुत्र रामदेव,
11. मु0 धापू बेवा रामदेव,
12. नानू वल्द झूता,
    सर्व जाति कुम्हार, निवासी ग्राम नलू, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
14. उप पंजीयक, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 12.6.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 92/2016 (2016/00256).

उपस्थितः—

1. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांट ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3, 7, 8 से 12.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 4, 5 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 12.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 1.7.2016 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई । तत्पश्चात् दिनांक 12.6.2018 को प्रकरण को कैम्प कोर्ट नलू में पेश होने पर प्रार्थी गणेश द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण विड्रा कर लिया है । इस पर अधी0न्याया0 ने मूल वाद विड्रा होने से प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि मूल वाद विड्रा किया जा चुका है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूल वाद अधी0न्याया0 में लंबित होकर आगामी दिनांक 5.9.2018 को सुनवाई हेतु नियत है । बल्कि दिनांक 12.6.2018 को ही उपरोक्त अधी0न्याया0 ने प्रकरण में आगामी दिनांक 19.7.2018 नियत की थी एवं दिनांक 19.7.2018 के पश्चात् आगामी दिनांक 5.9.2018 नियत की गई है जो वाद की आदेशिकाओं से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है । यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि किसी भी पक्षकार को न्यायालय की त्रुटि के आधार पर दण्डित नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 12.6.2018 को ग्राम नलू में राजस्व शिविर होने से, कार्य की अधिकता होने से किसी अन्य प्रकरण के आदेश इस पत्रावली में सहवन से लिखे गये है । यदि सहवन से आदेश नहीं है तो भी प्रथम दृष्टया ही न्यायालय के समक्ष वाद सुनवाई हेतु लंबित रहते हुए आलोचित आदेश में वाद को विड्रा दर्शाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को बिना सुनवाई के पारित आदेश विधि की तात्विक त्रुटि की है । इस परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है । राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत के प्रकरण में पक्षकारों के समझौते के आधार पर ही प्रकरण निर्णित किये जाने के बाबत् निर्देश दिये है तथा गंभीर अन्वेक्षण की विषयवस्तु के प्रश्नों को खानापूर्ति कर लोक अदालत में केवल अधिकारियों द्वारा आंकड़े दर्शाने के दृष्टिकोण से निर्णय किये जाने से पक्षकारो, काश्तकारों को सुविधा की जगह, असुविधा होती है के बाबत् स्पष्ट निर्देश दिये है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलाधीन आदेश में भी योग्य अधी0न्याया0 द्वारा केवल दिखावटी रूप से खानापूर्ति कर आंकड़े दर्शाने के दृष्टिकोण से उपरोक्त आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया राज्य सरकार के परिपत्र की मूल भाववना के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । भारतीय संविधान के तहत सुनवाई का अधिकार आधारभूत अधिकार है । अपीलांट ग्रामीण परिवेश का होकर कानूनी पहलुओं का जानकारी नहीं है । दिनांक 12.6.2018 को अपीलांट/वादी के अधिवक्ता मौजूद नहीं थे । केवल प्रार्थी से दस्तखत उपस्थिति के बाबत् ही करवाये थे । अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 के समक्ष चाहा गया अनुतोष अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को वाद के गुणावगुण निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना केवल लोक अदालत में निस्तारण के आंकड़े को दर्शाने के अनुक्रम में एकपक्षीय रूप से पारित किया है । अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.8.2018 को हुई तथा दिनांक 20.8.2018 को आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 23.8.2018 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के तात्विक अधिकार प्रभावित हुए है । बिना सुनवाई के वर्णित आदेश अपीलांट के विरूद्ध पातिर किया गया है एवं प्रार्थी को सारभूत सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है । मियाद का बिन्दू प्रक्रियात्मक श्रेणी का है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंब को माफ किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2, 3,7, 8, 10 से 12 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । यदि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विड्रा नहीं किया गया है तो अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था । अपीलांट के अधी0न्याया0 की आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर है । बहस में यह भी कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 212 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है जिसे मेरिट पर निर्णित करना चाहिये ना कि अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जाना चाहिये । अपीलांट सहमति से इंकार नहीं कर सकते है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दिनांक 12.6.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नलू में पेश हुई । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट एवं अप्रार्थीगण उपस्थित थे । प्रार्थी/अपीलांट गणेश ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय ने निवेदन किया था कि उनके द्वारा मूल वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण विड्रॉ कर लिया है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने मजमें आम में प्रार्थी को सुनकर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका पर प्रार्थी/अपीलांट गणेश स्वंय के हस्ताक्षर है । अब अपीलांट का यह कथन कि मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । यदि अपीलांट द्वारा मूल वाद विड्रॉ नहीं किया गया है तो अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की पत्रावली में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर चाराजोही करनी चाहिये थी, किन्तु अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष चाराजोही नहीं न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के कथनानुसार वाद विड्रो किये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.6.2018 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर